कार्यवाही विवरण

मेसर्स कान्हा मिनरल्स, (प्रोपा.–श्री मुकेश कुमार विधानी), ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/6, कुल क्षेत्रफल–2.995 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–49,999.95 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 30/09/2022 को दोपहर 12.00 बजे, जयरामनगर स्टेडियम, जयरामनगर तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स कान्हा मिनरल्स, (प्रोपा.–श्री मुकेश कुमार विधानी), ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/6, कुल क्षेत्रफल–2.995 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–49,999.95 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 20/08/2022 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 20/08/2022 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 30/09/2022 को दोपहर 12.00 बजे, जयरामनगर स्टेडियम, जयरामनगर तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी, जिला–बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत, भनेसर, पाराघाट, जयरामनगर, खैरा, खुडूभाटा, मोहतरा, भदौरा, परसदा, लिमतरा, कोतमीसुनार, अमेरी, कसोंदी, भेलाई, कोसमडीह, कुरूमहू, रसेदा, कल्याणपुर, पीपरसत्ती, बेलटुकरी, अरामसाही, रलिया, गतौरा, कर्रा, निमतरा, ढेका, मस्तूरी एवं किरारी, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,

मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को 01 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 30/09/2022 को दोपहर 12.00 बजे, जयरामनगर स्टेडियम, जयरामनगर तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री आर. एस. कुरवंशी, अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री बुद्वदेव पाण्डेय, ए. सीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा के द्वारा मेसर्स कान्हा मिनरल्स, (प्रोपा.–श्री मुकेश कुमार विधानी), ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री सुरेश शर्मा, ग्राम–जयरामनगर खैरा** :–1994 से यहां की स्थिति जानता हूॅ। प्रथम गिट्टी खदान स्थापित हुआ था। यहां पंचायत में कोई आय का साधन नहीं है। रायल्टी से राजस्व की प्राप्ती हुई। पलायन वादी थे। गांव छोडकर उत्तर प्रदेश पलायन करते थे। रोजीमजदूरी के लिए। उनका बहुत शोषण होता था। यहीं पे रोजी रोजगार मिलने लगा। 1998 से 4 से 5 खदाने हुई। पंचायत की आय बढी। अ धिक पैसे की आय होने लगी। खदान में पानी भरता है। जल स्त्रोत अच्छा होता गया। और खदाने आये हमारे गांव को करोडो रूपया राजस्व मिलता है। जयरामन नगर पंचायत को जाना जाता है। क्रेशर और गिट्टी खदान बढी है। गांव के लोगों में क्रेशर स्थापित किया। तुलाराम शर्मा जी है विधानी जी ये क्रेशर का काम करके गांव के समान्य नागरिक के बिजनेस मेन बन गये। गांव का पैसा गांव को मिला, गांव के लोगों को रोजगार मिला है। गांव में गई जगह बिजली, सडके है रायल्टी का पैसा पंचायतों को मिलता है। पंचों सरपंचों ने विकास किया। गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होती है। हमारे गांव में जीरो प्रतिशत पलायन है। गांव के मजदूर काम करते है। गांव का बहुत अच्छा लाभ है। कान्हा मिनरल्स सडक से दूर में है। अपने निजी में क्रेशर खोल रहे है। प्राईवेट जमीन पर क्रेशर खोल रहे है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पुरजोर समर्थन करता हूॅ मेरो समर्थन है गांव में जरूर से जरूर क्रेशर खुलना चाहिए।
2. **श्री प्रहलाद साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुले मा कोई आपत्ति नहीं है। खदान खुलना चाहिए।
3. **श्री चंदूलाल सिदार** :– खदान खुले मा कोई आपत्ति नहीं है।
4. **श्री ओम प्रकाश शर्मा, ग्राम–जयरामनगर** :– ये खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अपना व्यक्गित अपना जमीन से खदान खोल रहे है।
5. **श्री कांता प्रसाद साहू, ग्राम–खैरा** :– हमें कोई आपत्ति नही है। खदान खुलना चाहिए। रोजगार मिलेगा।
6. **श्री गनपत लाल साहू, ग्राम–जयरामनगर** : – खदान खुलना चाहिए। गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा।
7. **श्री नाटू शर्मा** :– गौण खनिज आज हमारी पहचान है। अजीविका का साधन है। गांव को बढाना है।
8. **श्री मनीष कुमार केडिया पंच, ग्राम–जयरामनगर** :–हमारे गांव में जो क्रेशर खुलने वाला है। 30 –40 क्रेशर है।, इस क्रेशर का पूरजोर का समर्थन है।
9. **श्री जयंत कुमार राठौर, ग्राम–जयरामनगर** :– हमारे क्षेत्र में 8 10 क्रेशर हैं। राजस्व प्राप्त होता है। जो क्रेशर खदान का समर्थन करता हूॅ क्योंकि रोजगार मिलेगा। मैं समर्थन करता हूॅ।
10. **श्री गुलारीलाल वार्ड नं. 08 पंच, जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। समर्थन है।
11. **श्री गिरीश कुमारसाहू, ग्राम–जयरामनगर** :– ये खदान ला खुले का प्रथमिकता देना चाहिए।

12. **कु. श्यामलता साहू, ग्राम–जयरामनगर** :– मैं खदान का समर्थन करती हूॅ। हमारा समर्थन प्रदान करें।
13. **श्रीमती सुस्मिता जगत, ग्राम–खैरा जयरामनगर** :– आपत्ति नहीं है। खदान संचालित है। खदान खुल जाने से, प्लांट का समर्थन करती हूॅ।
14. **श्रीमती आरती साहू, ग्राम–खैरा जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा।
15. **श्री पवन शर्मा, ग्राम–खैरा जयरामनगर** :–जो ग्राम खैरा जयरामनगर में कान्हा मिनरल्स खुल रहा है मैं उसके समर्थन में उपस्थित हुआ है। कान्हा मिनरल्स जयरामनगर में खुलना चाहिए।
16. **श्री सुचना पटेल, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। मेरा समर्थन है।
17. **श्रीमती सावित्री साहू, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान नहीं खुलना चाहिए। असमर्थन है।
18. **श्रीमती माधुरी साहू, ग्राम–जयरामनगर** :–मेरे घर के पास खदान नई खुलना चाहिए। प्रभावित है। क्रेशर चलने से धूल उडता है। मैं विरोध करती हूॅ कि खदान नहीं खुलना चाहिए।
19. **श्रीमती जानकी बाई, ग्राम–जयरामनग**र :– खदान नहीं खुलना चाहिए।
20. **श्री त्रिवेणी साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान नहीं खुलना चाहिए।
21. **श्रीमती मेलन बाई, ग्राम–खैरा** :–खदान नहीं खुलना चाहिए। घर भर के बि जली
22. **श्रीमती शीतला साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान नहीं खुलना चाहिए।
23. **श्रीमती प्रिया, ग्राम–खैरा** :– खदान नहीं खुलना चाहिए।
24. **श्री शकुन्तला साहू, ग्राम–खैरा** :–खदान नहीं खुलना चाहिए।
25. **श्री रैली साहू, ग्राम–खैरा** :–यहां पर खदान नहीं खुलना चाहिए।
26. **श्रीमती बिसाहिन, ग्राम–खैरा** :– खदान में आपत्ति है। खदान नही खुलना चाहिए।
27. **श्री शिव कुमार साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
28. **श्री द्रौपति, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
29. **श्री आशीष अवस्थी, ग्राम–मस्तूरी** :– खदान खलना चाहिए। 4 झन में रोजगार मिलना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है।
30. **श्रीमती गनेशिया, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। पूरा समर्थन है।
31. **श्रीमती शैलेद्री बाई साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
32. **श्रीमती चंद्रिका बाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
33. **श्रीमती फुल्ली**, **ग्राम–खैरा** :– हम लोग को काम मिलेगा। खदान खुलना चाहिए।
34. **श्रीमती सुखबाई यादव, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
35. **श्रीमती सुखिया बाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
36. **श्रीमती लीलाबाई, ग्राम–खैरा** :– सब खदान खुलना चाहिए।
37. **श्रीमती सुखमणी साहू ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
38. **श्रीमती खुशी कुमारी**, **ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।

39. **श्रीमती सुंती साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
40. **श्रीमती कुवारा बाई साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
41. **श्रीमती द्रौपती साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
42. **श्रीमती बबीता, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
43. **श्रीमती बनवासा बाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
44. **श्रीमती फुल कुमारी साहू, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए। बेराजगार आदमी भूख मर जायेगा।
45. **श्रीमती कविता साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए।
46. **श्रीमती प्रमिला साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। सब को रोजी रोटी मिलना चाहिए।
47. **श्री प्रकाश अवस्थी, ग्राम–मस्तूरी** :– खदान खुलना चाहिए। समर्थन में हूॅ खदान खुलने से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। राजस्व की प्राप्ती है। इस बात का समर्थन करता हूॅ। हम सभी का समर्थन है।
48. **श्री राजेश, ग्राम–खुड्डूभाठा** :–हमारे ग्राम से काम करने आते है। खदान खुलना चाहिए। पलायन रूक जाता है। जयरामनगर में उसका मै। समर्थन करता हूॅ।
49. **श्री समारू, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
50. **श्रीमती सुमन खाण्डे, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
51. **श्रीमती सतीबाई, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए। बेरोजगार को मिलना चाहिए। खदान खुलना चाहिए।
52. **श्रीमती रमौतीन, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलने में मेरा समर्थन है।
53. **श्रीमती बृहस्पति, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।
54. **श्रीमती प्रेमलता** :– खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है।
55. **श्रीमती रतन बाई बंजारे, ग्राम–जयरामनगर :**– खदान खुलना चाहिए।
56. **श्रीमती सुनीता, ग्राम–जयराम नगर** :– खदान खुलना चाहिए।
57. **श्रीमती बिसाहीन बाई, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
58. **श्रीमती नीराबाई, ग्राम–खैरा जयरामनगर** :–सरपंच जी अच्छा काम करें हे। खदान खुलना चाहिए। खर्चापानी मिलना चाहिए।
59. **श्रीमती गीता मिरी, जयरामनगर** :– खदान खुलन मे कोई आपित्त नहीं है।
60. **श्रीमती मधु पटेल साहू, ग्राम–जयरामनगर** :– यहां खदान खुलना चाहिए। बेरोजगार को काम मिलना चाहिए। यहां से वहां भटकते है।
61. **श्रीमती भगवती साहू, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
62. **श्रीमती निर्मला साहू** , **ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। दारूभट्ठी बंद होना चाहिए।
63. **श्रीमती गीता चंद्राकर, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान बंद नहीं होना चाहिए।

64. **श्रीमती संगीता, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए। दारू भट्ठी गांजा बंद होना चाहिए।
65. **श्रीमती पटेल बाई, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
66. **श्रीमती गणपति बाई, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
67. **श्रीमती किरण, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
68. **श्रीमती चमेली, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
69. **श्रीमती मनटोरिन, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
70. **श्रीमती संगीता चंद्राकर, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
71. **श्रीमती बैसाखी, ग्राम–जयरामनगर खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
72. **श्रीमती ललीता बाई चंद्राकर, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। गांजा दारू बंद होना चाहिए।
73. **श्रीमती रूकमणी चंदा, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
74. **श्रीमती भगवती, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलही
75. **श्रीमती प्रीति बाई** :– खदान खुलना चाहिए।
76. **श्रीमती रूपवती सिदार** :– खदान खुलना चाहिए।
77. **श्रीमती अनसुईया बाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।सब चीज बर मा सहयोग देते।
78. **श्रीमती पार्वती जगत** :– खदान खुलना चाहिए।
79. **श्रीमती सविता सिदार, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
80. **श्रीमती जमुनाबाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
81. **श्रीमती कमला बाई, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
82. **श्रीमती रूकमणी केंवट** :– खदान खुलना चाहिए।
83. **श्रीमती धनेश्वरी यादव** :–खदान खुलना चाहिए।
84. **श्रीमती शकुंतला** :–खदान खुलना चाहिए।
85. **श्री महंत कुमार** :– खदान खुलना चाहिए।
86. **श्री देवकुमार, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
87. **श्रीमती बिट्टी शर्मा** :– खदान बंद होना चाहिए।
88. **श्री भागवत, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
89. **श्री रूपकुमार चंदा, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
90. **श्री राजू यादव, खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
91. **श्री मनीराम यादव, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
92. **श्री संतोष मरकाम, खैरा** :– खदान चलना ही चाहिए। समर्थन है।
93. **श्री अजीत राम साहू, खैरा** :– कोई आपत्ति नहीं है।
94. **श्री ऐनीपॉल, खैरा** :– खुलना चाहिए।
95. **श्रीमती पूनम पटेल, ग्राम–जयरामनगर** :– खुलना चाहिए।
96. **श्रीमती श्रुति निर्मलकर, ग्राम–खैरा** :– खुलना चाहिए।

97. **श्रीमती संगीता साहू, खैरा** :–खुलना चाहिए।
98. **श्रीमती मीरा, ग्राम–खैरा** :– खुलना चाहिए।
99. **श्रीमती लक्ष्मी पोर्ते, ग्राम–खैरा** :– खुलना चाहिए।
100. **श्री भैयाराम साहू, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान में मैं सहमत हूॅ। धूल प्रदूषण बहुत ज्यादा है।
101. **श्रीमती रामस्नेही साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान बंद होना चाहिए।
102. **श्री नीलेश कुमार पटेल, ग्राम–खड़ूभाटा** :– खदान खुलन में समर्थन है।
103. **श्री मुन्ना भाई, खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। क्या आपत्ति है। बताईये गरीबी को काम मिलेगा।
104. **श्रीमती शांतिबाई मरकाम, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
105. **श्रीमती जुवली आर्मो, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
106. **श्रीमती राजकुमारी साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
107. **श्रीमती अयोध्या बाई पटेल, खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
108. **श्रीमती सुनीता बाई साहू, ग्राम–जयरामनगर** : –खदान खुलना चाहिए।
109. **श्रीमती मनटोरा, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
110. **श्रीमती संतोषी, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
111. **श्रीमती भागमती, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
112. **श्रीमती गंगोत्री, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
113. **श्रीमती लक्ष्मी यादव, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है।
114. **श्रीमती लक्ष्मी प्रसाद यादव, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
115. **श्रीमती नंदनी श्रीवास, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। कोई आपत्ति नहीं
116. **श्रीमती उर्मिला, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
117. **श्री दीपक यादव, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
118. **श्रीमती रामबाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
119. **श्रीमती सुनिता बाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। दारूगांजा बंद होना चाहिए।
120. **श्री विदेश्वर साहू, ग्राम–खैरा जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए।
121. **श्रीमती द्रौपदी पटेल, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
122. **श्रीमती माही पटेल, जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए। दारू बंद होना चाहिए।
123. **श्रीमती सरस्वती पटेल, खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
124. **श्रीमती लता साहू खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
125. **श्रीमती पुनिया साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
126. **श्री शिवप्रसाद, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। समर्थन है।
127. **श्री संजय साहू** –खदान खुलने में हमें कोई प्रकार की अपत्ति नहीं है।
128. **श्री प्रमोद राठौर, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले से खदान खुला हुआ था। इसका समर्थन करते है।

129. श्री अजय शर्मा :–खदान खुलना चाहिए। कोरोना काल के समय सभी खदान सहायता किया। इसी से लोगों का विकास होता है। ये छोटे उद्योग से मजदूर अधारित उद्योग है। मजदूरो का भलाई होता है। गांव के निजी लोग है। आ सकते हे बात कर सकते हे। इस उद्योगों को बढावा देना चाहिए। खदान के लिए जनसुनवाई की आवश्यकता नहीं है। मोहतरा मस्तूरी जयरामनग खनिज क्षेत्र है। उसको लीज सेंशन दिया जाना चाहिए। बिलासपुर से एनओसी मिलना चाहिए। गिट्टी का रेड नहीं बढा है। आज तक नहीं बढा है। आज भी वही रेट है। छड, सीमेंट का रेट बढ गया है। जनसैलाब समर्थन कर रहा है। खदान खुलना चाहिए।

130. श्री श्रवण सिदार :– हमारे ग्राम में बेरोजगारी बढ चुकी है। हमारे गांव में खोलने की घोषणा की गई हे। महिला लोग बेरोजगार हो चुके है। क्या खदान है गिट्टी के खदान है। खदान खुलना चाहिए।

131. श्री लखन साहू :–खदान ला चलना चाहिए।

132. श्री गोकुल प्रसाद साहू –खदान खुलना चाहिए। सभी ला रोजी रोटी मिलही।

133. श्री धर्मेन्द यादव, सरपंच जयरामनगर खैरा –किसान के बगल में जमीन है। इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनका जमीन का मुआवजा दिया जाये।जितने भी साथ आये हुये है। 45 दिवस के भीतर होना था। नियम के फ्लो को नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं दी गई है। अभी की एनओसी नहीं है। किस प्रकार से रोजगार मिल जायेगा। आज हर चीज मशीन से होता है। किसी का विरोध नहीं कर रहा हूॅ। अगल बगल खेत वाले, खदान नहीं खुलना चाहिए। खदान से बहुत से नुकसान होता हे। अगल बगल खेत में डस्ट उड जाता है। कृषि से आप जुडे हुये है। गड्डा होने से बखूबी आ जाती है। पानी का लेबल कम हो जाता है। अच्छे से फसल हो जाता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत आपत्ति है। आपत्ति दर्ज करता हूॅ।

134. श्री पुरूषोत्तम साहू, ग्राम–जयरामनगर :– हमको आपत्ति है। 5 साल हो गया धान नहीं होता हे। ऐसा लगता है भूकंप आ गई है। मैं इसका खुल के विरोध करता हूॅ। आपत्ति करूंगा।

135. श्री शंकरलाल साहू, ग्राम–खैरा :– मेरा खेत बहुत प्रभाावित हो रहा है। 1.10 डिसमिल जमीन है। वही पर लगे हुये है। खदान खुलने से आपत्ति है। मेरे को आपत्ति है। वहां जा के देखे। मैं किसान हूॅ।

136. श्री तिहारू राम यादव, ग्राम–जयरामनगर खैरा :– मेरा खेत वहां पर खदान से नजदीक में है। 50 एकड जमीन बर्बाद हो रहा है। सब को रोजी रोटी मिलेगा। वहां पर किसी को रोजी रोटी मिलेगा। सब काम मशीन से होता है। वहां जमीन बगल में है। नाली को बंद कर दिया है। खेत में सब गिट्टी को फेक रहा है। मेरे को आपत्ति है। खदान नहीं खुलना चाहिए।

137. **श्री त्रिमूति जय साहू, ग्राम–जयरामनगर** :– जस्ट सटा हुआ है। खेत बर्बाद हो चुका हैं धान आधा बर्बाद हो चुका है। गिट्टी आ रहा है। नाली को खुलवाया जाये। ये खदान खुलने से आपत्ति है। नाली मिट्टी से खुलवाया जाये।
138. **श्री दिलीप अग्रवाल, समाजिक कार्यक्रर्ता** :– 28 तारीख को यही हुआ था। 45 दिवस के भीतर जनसुनवाई होनी चाहिए। ये तारीख निर्धारित कौन करता है। आखिर कारण क्या है। लगभग 7 कि.मी. क्रोकोडील पार्क है। सीएसआर की राशि कितनी कितनी राशि दी गई है। खदान मालिक के जरीये ये बताया जाये। प्रदूषण रोकने में कितना सक्षम है।
139. **श्री फागू सिदार, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
140. **श्री मुकेश यादव, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
141. **श्री मोहतरा, ग्राम–जयरामनगर** –करोना में बहुत गरीबी आ गये हैं काम भी मिलही जयरामनगर के आदमी ला काम मिलना चाहिए। खदान बिल्कुल खुलना चाहिए।
142. **श्री प्रताप सिंह, ग्राम–मोतिमपुर** :–खदान खुलना चाहिए।
143. **श्रीमती संतोषी यादव, ग्राम–जयरामनगर** :–खदान खुलना चाहिए।
144. **श्री रविदास साहू, ग्राम–जयरामनगर** :– खदान खुलना चाहिए। हमर गांव के बेरोजगारी खत्म होही। गांव के विकास के लिए बोलत है। आपत्ति गलत है। खदान जरूर खुलना चाहिए। गांव के विकास सब जानते। वायु प्रदूषण ला।
145. **श्री वासु गिरी, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
146. **श्री दीपक साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
147. **श्री तुलेश दुबे, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
148. **श्री मनमोहन, ग्राम–मोहतरा** :– खदान खुलना चाहिए।
149. **श्री दिव्य, ग्राम–मोहतरा** :– खदान खुलना चाहिए।
150. **श्री बहोरिक लाल कुर्मी, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
151. **श्रीमती कविता बाई यादव**, **ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
152. **श्रीमती सुशीलाबाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुले बर खोल सब ला रोजी दे
153. **श्री जमुना नेताम, ग्राम–खैरा** :–खदान खुलना चाहिए।
154. **श्री प्रदीप पुजार, ग्राम–खैरा जयरामनगर** –खदान खुलना चाहिए। गरीबो का साथ देना चाहिए। कोई गलत आदमी नहीं है।
155. **श्री विजय कुमार चंद्राकर, ग्राम–खैरा जयरामनगर** –खदान खुलना चाहिए।
156. **श्रीमती संतोषी सिदार, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
157. **श्रीमती लक्ष्मी पटेल, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए। हमर लईका मन ला काम मिलना चाहिए।
158. **श्री मुशी सिदार, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
159. **श्रीमती संधारिन बाई, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
160. **श्रीमती उषा साहू, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।
161. **श्रीमती अनिता, ग्राम–खैरा** :– खदान खुलना चाहिए।

162. श्री मनोहर कुर्रे, ग्राम–मस्तूरी :– हां पत्थरा खदान खुलना है। हमला सब मिलजुल के सहयोग करना चाहिए। आज भी निवेदन करथन। क्योंकि क्षेत्र के काम हे। कपिलेंद्र ला जानथन। मांग ला पूरा करीहा। बेरोजगार साथी मन ला रोजगार देना है। पय्ररवरण के बाधा नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 2:00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री बुद्वदेव पाण्डेय, ए. सीरिज इन्चायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा मेसर्स कान्हा मिनरल्स, (प्रोपा.–श्री मुकेश कुमार विधानी), ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 2:10 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 139 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 162 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200–250 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 103 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)